



Phone & Fax no. 0135-2658294

E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 757/12-10 दिनांक, देहरादून, 01 अक्टूबर 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation, Dehradun for renewal of Collection of Minor Minerals from 628.8 ha. forest land of Song River 1, 2, 3 and Jakhan 1, 2 for 10 years under Dehradun Forest Division, Uttarakhand regarding (Online proposal no. FP/UK/MIN/38285/2019).

संदर्भ:-

भारत सरकार की पत्र सं० 8-62/1999FC(VOL) दिनांक 09.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा उप खनिज चुगान के दृष्टिगत नवीनीकरण प्रस्ताव हेतु चयनित भूमि के बदले दुगने अवनत भाग में क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्रों का DSS Analysis करने के उपरान्त कतिपय क्षेत्रों को अत्यधिक/कम घनत्व होना बताया गया है, जिसको संशोधित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगतनीय है कि प्रभागीय लौगिंग प्रबंधक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अपने पत्र सं०-504/सौंग एवं जाखन, दिनांक 15.09.2020 (प्रति संलग्न) के माध्यम से आख्या उपलब्ध करायी गयी है कि उनके द्वारा प्रस्तावित सौंग-1, 2, 3 व जाखन-1 व 2 नदियों में 25 मई 2019 तक पूर्व में भी उप खनिज चुगान किया गया है एवं इसके सापेक्ष ही क्षतिपूरक वनीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वर्तमान में भी उक्त वर्णित नदियों से ही उप खनिज चुगान करने हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर स्वीकृति हेतु अपलोड किया गया है, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन इस प्रयोजन हेतु जारी दिशा-निर्देशों (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न) के खण्ड-3 के बिन्दु सं०-viii के उप बिन्दु-d में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के संबंध में विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार किन्हीं नदी क्षेत्रों को ही पुनः उप खनिज चुगान हेतु नवीनीकरण किये जाने की दशा में इसके एवज में क्षतिपूरक वनीकरण किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान में उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित आपत्ति यथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र अत्यधिक/कम घनत्व होने के संबंध में संज्ञानार्थ है कि संबंधित क्षेत्रों में पूर्व में ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है, जिसके कारण ही DSS Analysis में अभिकथित क्षेत्र अत्यधिक/कम घनत्व का प्रतीत हो रहा होगा।

अतः उक्तानुसार आख्या अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पी०के० पात्रो)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।



उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, (खनन)

वन परिसर, चन्द्रवनी रोड, देहरादून। फोन-0135-2743428 Email-dlmkhanand.dun@gmail.com

दिनांक 15/09/2020

पत्रांक 504 / सौंग एवं जाखन
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

विषय :- Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Uttarakhand Forest Development corporation, Dehradun for renewal of collection of Minor NMinerals from 628.80 Ha forest land of Song River 1,2,3 and Jakhan 1,2 for 10 years under Dehradun Forest division, Uttarakhand regarding (Online proposal no FP/UK/MIN/38285/2019)

सन्दर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Forest Conservation Division) भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक File No. 8-62/1999 FC(VOL) date 9th September, 2020

महोदय,

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, देहरादून द्वारा उपखनिज चुगान हेतु प्रस्तावित देहरादून वन प्रभाग की सौंग-1, सौंग-2, सौंग-3, जाखन-1 व जाखन-2 नदियों की वन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 19 दिसम्बर 2019 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में आयोजित एफ0ए0सी0 की बैठक में उक्त प्रस्ताव को विचारार्थ रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर एफ0ए0सी0 द्वारा कुछ आपत्तियां लगायी गयी थीं जिसमें से एक आपत्ति KML file of CA area, as

possible be provided. थी।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्रस्तावित सौंग-1, सौंग-2, सौंग-3, जाखन-1 व 2 नदियों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा 25 मई 2019 तक पूर्व में भी उपखनिज चुगान हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव (ऑन-लाईन प्रस्ताव) प्रेषित किया गया है तथा वर्तमान में उक्त नदियों में उपखनिज चुगान करने हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव (ऑन-लाईन प्रस्ताव) पर फार्म-बी में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव नवीनीकरण का होने के कारण नियमानुसार उक्त क्षेत्रों के समतुल्य क्षेत्र में होने वाले क्षतिपूर्क वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 19 दिसम्बर 2019 को एफ0ए0सी0 की बैठक में उक्त प्रस्ताव पर सी0ए0 के0एम0एल0 के सम्बन्ध में लगायी गयी उक्त आपत्ति के क्रम में इस प्रभाग द्वारा पूर्व में किये गये क्षतिपूर्क वनीकरण के क्षेत्रों की के0एम0एल0 फाईल, जो आपके कार्यालय के पत्रांक 598/1/2-1.T.C दिनांक 2.6.2020 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुयी थी, को अपने पत्रांक 210 दिनांक 28.6.2020 से आपके कार्यालय को प्रेषित कर प्रस्ताव ऑन-लाईन प्रेषित किया गया था।

पुनः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने उक्त सन्दर्भित पत्र से उक्त प्रस्ताव पर निम्न आपत्तियां लगाकर प्रस्ताव को आपत्तियों के निराकरण हेतु वापस प्रेषित किया गया:-

- The total calculated CA area from the KML files is found 1095.64 ha whereas the actual CA area proposed is 1325.00 ha.
- Out of total area proposed for CA, 71 ha of land is classified as Very Dense Forest (VDF) and about 298 ha of land is classified as Moderately Dense Forest (MDF), which need to be changed. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय का पत्र संलग्न है।

कार्यालय प्रभागीय वन प्रभाग : देहरादून वन प्रभाग : रादून
पत्रांक संख्या 121 2,3, जाखन-1 व 2 नदियों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा 25 मई 2019 तक पूर्व में भी उपखनिज चुगान हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव (ऑन-लाईन प्रस्ताव) प्रेषित किया गया है तथा वर्तमान में उक्त नदियों में उपखनिज चुगान करने हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव (ऑन-लाईन प्रस्ताव) पर फार्म-बी में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था।
दिनांक 21/09/2020

D/Mom

आ. का. करी

21/09/2020

अतः महोदय से निवेदन है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा सौंग-1, सौंग-2, सौंग-3, जाखन-1 व जाखन-2 नदियों के एफ0सी0 प्रस्ताव पर लगायी गयी उक्त आपत्तियों का निराकरण करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भबदीय
(शेर सिंह)

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन),
देहरादून

- प्रतिलिपि:-1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शेर सिंह)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन),
देहरादून

Handbook of

Forest (Conservation) Act, 1980

and

Forest Conservation Rules, 2003

(Guidelines & Clarifications)



Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

2019

(vii) The field firing ranges, which area used temporarily by the defence establishments for arms practice, constitute a safety zone encompassing the field firing range and danger area/impact zone. Keeping in view that the area is only a small portion of the entire firing range and as an exception to 3.2(i) above, compensatory afforestation may be raised over equivalent degraded forest land of the forest area being diverted for impact zone of field firing rang.

(viii) No compensatory afforestation shall be insisted upon in respect of the following :-

- (a) For cleaning of naturally grown trees in forest land or in portion thereof for the purpose of using it for reforestation.
- (b) Proposals involving diversion of forest land up to one hectare. (However, in such cases, plantation of ten times the number of trees likely to be felled will have to be carried out by way of compensatory afforestation or any number of trees specified in the order)
- (c) For underground mining in forest land below 3 metres. (However, in respect of forest area required for surface right, compensatory afforestation shall be required as per relevant provisions).
- (d) Cases of renewal of mining lease for the forest area already broken/used for mining, dumping or overburden, construction of roads, ropeways, buildings, etc. For the balance area, compensatory afforestation shall be required to be done as stipulated, provided that no compensatory afforestation had been stipulated and done in respect of this area at the time of grant/renewal of lease earlier.

(ix) Special provisions for Central Government/Central Government Undertaking Projects.

- (a) Compensatory afforestation may be raised on degraded forest land twice in extent of forest area being diverted. Certificate of Chief Secretary regarding non-availability of non-forest land for compensatory afforestation will not be insisted.
- (b) The user agency will deposit the amount for compensatory afforestation with the concerned State Govt. on receiving the demand and the actual transfer/use of forest land will be effected only after the receipt of the demanded amount.
- (c) The State Governments will identify 'blank forest' or degraded forest lands for compensatory afforestation. The State Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan will identify such degraded forest land in their State for compensatory afforestation of Central projects in their respective States as indicated by the Chief Secretaries of these two States in the meeting of Committee of Secretaries held on 15-11-1996.
- (d) The pool of degraded forest land in Madhya Pradesh and Rajasthan will also be available for the Central Government projects of other States if the concerned State Government fail to identify the requisite land, as mentioned at (a) above, for compensatory afforestation in its own territory within one month of the submission of the proposal to the State Government.
- (e) While identifying the pool of degraded forest land, blank forest lands in reserved forests in compact/sizeable blocks should be identified as first priority as "plantation bank". An appropriate treatment plan with choice of species should be prepared by the beneficiary States. Only when such areas are not available, the choice of compensatory afforestation will fall on protected, unprotected forests and unclassified forests in declining order of priority.
- (f) The Nodal Officer (Forest Conservation), State Forest Department will identify the pool of such degraded forest lands in consultation with concerned Chief Conservator of Forests (C), Regional Offices of the MOEF.

Clarification : The provisions of the above guideline would be applicable to only Central Sector projects and not on State Sector projects which are being undertaken by Central PSUs on turnkey basis. In such cases, Compensatory Afforestation on equivalent non-forest land/ a certificate of Chief Secretary regarding non-availability of equivalent non-forest land anywhere in the State shall be insisted upon.

3.3 Elements of Schemes for Compensatory Afforestation- (i) The Scheme for compensatory afforestation should contain the following details :-

- (a) Details of equivalent non-forest or degraded forest land identified for raising compensatory afforestation.
- (b) Delineation of proposed area on suitable map.
- (c) Agency responsible for afforestation.
- (d) Details of work.